बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 188382 पटना, दिनांक 16-06-14

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(किस्त)-102-21/2013

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2014-15 से इंदिरा आवास के लाभुकों को किस्तों में देय सहायता राशि में परिवर्तन के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि इंदिरा आवास की प्रथम किस्त की 50,000 रूपये की राशि से आवास का छत ढलाई एवं शौचालय निर्माण कार्यों को भौतिक रूप से पूर्ण कराने में लाभुकों को हो रही कठिनाईयों को देखते हुए विभागीय पत्र संख्या-181446 दिनांक-25.03.14 द्वारा प्रावधान किया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिन लाभुकों ने प्रथम किस्त की सहायता राशि से छत ढलाई का कार्य पूर्ण कर लिया है किन्तु शौचालय का निर्माण नहीं कराने के कारण उन्हें द्वितीय किस्त की राशि भुगतान नहीं किया जा सका है, ऐसे लाभुकों को देय द्वितीय किस्त की राशि (₹ 20,000 सामान्य क्षेत्रों के लिए एवं 25,000 रूपये IAP क्षेत्रों के लिए) में से ₹ 10,000 की राशि द्वितीय किस्त के रूप में लाभान्वितों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा अवशेष सहायता राशि (₹ 10,000 सामान्य क्षेत्रों के लिए एवं ₹ 15,000 IAP क्षेत्रों के लिए) के साथ-साथ मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान के समाहरण से शौचालय निर्माण के लिए अनुमान्य राशि भी विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत लाभुकों को दी जोयगी ।

विदित है कि पूर्व से इंदिरा आवास के लाभुकों को दो किस्तों में सहायता राशि भुगतान करने की व्यवस्था रही है । लाभुक को इंदिरा आवास का छत ढलाई के साथ-साथ शौचालय निर्माण का कार्य भौतिक रूप से पूर्ण कराने में यथोचित सहायता राशि प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2014-15 से इंदिरा आवास के लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में ₹ 60,000 (साठ हजार रूपये) सहायता राशि का भुगतान अग्रिम स्वरूप किया जाय । उक्त राशि से लाभुकों द्वारा छत ढलाई तथा शौचालय निर्माण पूर्ण करने के बाद ही लाभार्थी को द्वितीय एवं अंतिम किस्त के रूप में अवशेष शेष राशि (₹ 10,000 सामान्य क्षेत्रों के लिए एवं ₹ 15,000 IAP जिलों के लिए) तथा निर्मल भारत अभियान एवं मनरेगा के अभिसरण से शौचालय निर्माण हेतु देय सहायता राशि लाभुकों के खाते में भुगतान किया जायेगा ।

महादलित वर्ग के लाभान्वितों को मुख्य मंत्री इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुमान्य प्रोत्साहन राशि योजना के उपर्युक्त मापदण्डों के आधार पर कार्य पूर्ण होने के बाद दी जायेगी ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्धारित दर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय एवं दिशा-निर्देशों के आलोक में वर्ष 2014-15 से इंदिरा आवास के लाभार्थियों को उक्तवत सहायता राशि उपलब्ध कराकर योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव
13.6.14

ज्ञापांक 1883 82 पटना, दिनांक 16-06-14

प्रतिलिपि- सभी विभाग के मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, निर्वाचन विभाग, 7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगलस रोड), पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निमित्त प्रेषित ।

सरकार के सचिव
13.6.14